(1)

(10)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौली जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– बद्री नारायण मीना आर ए एस

वाद पत्र संख्या 33/16

नाथू लाल पुत्र मेवा जाति रेगर निवासी लाखनपुर तहसील बौली जिला स.मा.

..... वादी

बनाम

1. गोरधन पुत्र भूरया जाति रेगर
   1/1 कजोडी पत्नि गोरधन
   1/2 सन्जू पुत्री गोरधन
   1/3 सुगना पुत्री गोरधन
   1/4 सुशीला पुत्री गोरधन
   1/5 लोकेश पुत्र गोरधन नाबालिग जरिये संरक्षक माताखुद
2. धोला पुत्री भूरया
3. गद्दू पत्नि भूरया
4. बिरदीचंद पुत्र धन्ना लाल
5. हरसाय पुत्र धन्ना लाल
6. दीनदयाल पुत्र धन्ना लाल
7. धापू बेवा धन्ना लाल
8. प्रेम पुत्री धन्ना लाल
9. कमला पुत्री धन्ना लाल
   समस्त जाति रेगरान निवासी लाखनपुर तहसील बौली
10. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बौली जिला सवाई माधोपुर
11. कजोडी पुत्री मेवा जाति रेगर निवासी लाखनपुर तहसील बौली
12. ग्यारसी पत्नि मेवा जाति रेगर निवासी लाखनपुर तहसील बौली

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं
स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित– श्री वी.पी.सिंह एडवोकेट वादी की और से
श्री रामकिशन गुर्जर एडवोकेट प्रतिवादी1/1ल.1/5, 3,4,5,6 की और से
श्री राजेन्द्र सिंह नाथावत प्रतिवादी सं. 11,12 की और से

दिनांक 5.8.22

आदेश

उप जिला कलेक्टर
बौली जिला सवाई माधोपुर

(2) (11)

वादी की ओर से यह दावा इस आशय का दायर किया कि ग्राम लाखनपुर तहसील बौली की जमाबंदी सवत 2061–64 के खाता सं. 150 मे अंकित खसरा नं. 893 रकबा 6 बीघा भूमि वादी के पिता मेवा पुत्र गोविन्दा जाति रेगर की खातेदारी में दर्ज थी , मेवा का स्वर्गवास होने पर नामान्तरकरण सं. 893/5202 से वादी एवं प्रतिवादी सं. 11, 12 के नाम उक्त जमाबंदी में अमल हो चुका हैं । सेटिलमेंट के बाद उक्त आराजी खसरा नं. 893 रकबा 6 बीघा के नये हाल खसरा नम्बर 1085 रकबा 1.26 हैक्टेयर कायम किये गये , तथा सेटिलमेंट की जमाबंदी में उक्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी सं. 11 व 12 का नाम बतौर खातेदार दर्ज हैं लेकिन तहसील में संधारित जमाबंदी में वादी एवं प्रतिवादी सं. 11 व 12 के नाम के स्थान पर प्रतिवादी सं. 1 ल. 9 के अन्य खातेदारी की आराजी खसरा नं. 1101 रकबा 1.27 हैक्टेयर के खाते में उक्त आराजी का इन्द्राज कर दिया गया। जो एक लिपिकीय भूल हैं इसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में जरूरी हैं अतः घोषणा चाही की कि आराजी खसरा नं. 893 रकबा 6 बीघा जिसके हाल खसरा नं. 1085 रकबा 1.26 हैक्टेयर बने हैं उक्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादी सं. 11एवं 12 की खातेदारी बावत घोषणा की जावें, तदानुसार राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज किया जावें व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 11 व12 के कब्जे काश्त में माने मजाहमत व मदाखलत न करें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ,3,4,5,6 एवं 11,12 की और से अधिवक्ता बाद तामील उपस्थित हुये। शेष के विरूध्द एकतरफा के आदेश प्रतिपादित किये गये।

प्रतिवादी सं. 1 ल. 5 की और से जवाब दावा पेश किया जिसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्य अस्वीकार करते हुये निवेदन किया आराजी खसरा नं. 1085 रकबा 1.26 हैक्टेयर पर प्रतिवादीगण सं. 1 ल.5 का हीं लगातार कब्जा काश्त है जो वास्तविक कब्जे के आधार पर हीं प्रतिवादीगण के खातेदारी मे दर्ज की गयी हैं। उक्त आराजी को सेटिलमेंट के समय प्रतिवादी सं. 1 ल.5 के खाते में लगाया गया हैं। जिस पर हमेशा मिन प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त हैं। उक्त इन्द्राज भूलवश न होकर वास्तविक कब्जे के आधार पर किया गया हैं।आराजी खसरा नं. 1085 रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि के प्रतिवादी सं. 1 ल.5 हीं वास्तविक हकदार हैं जिसे प्रतिवादीगण के राजस्व रिकोर्ड से हटाये जाने का वादी को कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण हीं अपने पूर्वजो के समय से लगातार काश्त कर लाभ अर्जित करते आ रहे हैं इस कारण दावा खारिज किया जावें आराजी खसरा नं. 1085 रकबा 1.26 हैक्टेयरभूमि प्रतिवादीगण 2 ल. 8 के पूर्वजो के कब्जे व काश्त की भूमि रहीं हैं जिसके असली हकदार भी प्रतिवादीगण हीं हैं इसलिये प्रतिवादीगण के खातेदारी से हटवाने का वादी को कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं दावा खारिज किया जावें।

वाद पत्र, जवाब दावा एवं प्रस्तुत प्रलेखीय दस्तावेजात के आधार पर निम्न प्रकार तनकीयात विरचित की गयी।

1. आया आ.ख.नं. 1085 रकबा 1.26 हैक्टेयर वाके ग्राम लाखनपुर का वादी एवं प्रतिवादी सं. 11 व 12 खातेदार काश्तकार की धोषणा करवाने का वादी को अधिकार प्राप्त हैं। तदनुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल किया जावें? ....वादी
2. आया प्रतिवादी सं. 1 ल. 9 को उक्त आराजी के कब्जे काश्त मे माने मजाहमत व मदाखलत न करने हेतु पावन्द फरमाया जावें? ... वादी

उप जिला कलेक्टर
बौली जिला सवाई माधोपुर

(3)

(12)

3. आया आराजीयात मुतनाजा प्रतिवादी सं. 1 ल. 8 के पूर्वजो के कब्जे काश्त की होने के कारण वादीगण का वाद निरस्त किया जावें? ... प्रतिवादीगण
4. अनुतोष

वादी की और से साक्ष्य पी.ड.1 नाथूलाल, पी.ड.2 प्रहलाद, पी.ड.3 मूल्या ली गयी एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2068–71, प्रदर्श–2 मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श–3 सेटिलमेंट खतोनी संवत 2066–85, प्रदर्श–4 जमाबंदी संवत 2051–54 , प्रदर्श–5 जमाबंदी संवत 2051–54 प्रस्तुत की । प्रतिवादीगण की और से साक्ष्य डी.ड.1 सुशीला, डी.ड. 2 हरसहाय, एवं डी. ड.3 बिरदीचंद लेखबध्द करवायी, कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रदर्शित नहीं करवायी गयी।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का गहन अध्ययन एवं मनन किया गया हम मौजूदा प्रकरण में तनकीवाईज निम्न प्रकार विवेचना करते है।

तनकी सं. 1 :– इस तनकी को सिध्द करने का भार वादी पर हैं । वादी का वाद हैं कि ग्राम लाखनपुर तहसील बौली की जमाबंदी संवत 2051–54 के खाता सं. 150 मे अंकित खसरा नं. 893 रकबा 5 बीधा भूमि वादी के पिता मेवा पुत्र गोविन्दा जाति रेगर की खातेदारी में दर्ज थी , मेवा का स्वर्गवास होने पर नामान्तरकरण सं. 893/5.2.02 से वादी एवं प्रतिवादी सं. 11, 12 के नाम उक्त जमाबंदी में अमल हो चुका हैं । सेटिलमेंट के बाद उक्त आराजी खसरा नं. 893 रकबा 5 बीधा के नये हाल खसरा नम्बर 1085 रकबा 1.26 हैक्टेयर कायम किये गये , तथा सेटिलमेंट की जमाबंदी में उक्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी सं. 11 व 12 का नाम बतोर खातेदार दर्ज हैं लेकिन तहसील में संधारित जमाबंदी में वादी एवं प्रतिवादी सं. 11 व 12 के नाम के स्थान पर प्रतिवादी सं. 1 ल. 9 के अन्य खातेदारी की आराजी खसरा नं. 1101 रकबा 1.27 हैक्टैयर के खाते में उक्त आराजी का इन्द्राज कर दिया गया। जो एक लिपिकीय भूल हैं इसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में जरूरी हैं अतः धोषणा चाहीं की कि आराजी खसरा नं. 893 रकबा 5 बीधा जिसके हाल खसरा नं. 1085 रकबा 1.26 हैक्टेयर बने हैं ।

प्रतिवादीगण ने अपने जबाव दावा में यह अंकन किया आराजी खसरा नं. 1085 रकबा 1.26 हैक्टेयर पर प्रतिवादीगण सं. 1 ल.5 का हीं लगातार कब्जा काश्त है जो वास्तविक कब्जे के आधार पर हीं प्रतिवादीगण के खातेदारी मे दर्ज की गयी हैं। उक्त आराजी को सेटिलमेंट के समय प्रतिवादी सं. 1 ल.5 के खाते में लगाया गया हैं। जिस पर हमेशा मिन प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त हैं। उक्त इन्द्राज भूलवश न होकर वास्तविक कब्जे के आधार पर किया गया जिसे प्रतिवादीगण के राजस्व रिकोर्ड से हटाये जाने का वादी को कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण हीं अपने पूर्वजो के समय से लगातार काश्त कर लाभ अर्जित करते आ रहे हैं इस कारण दावा खारिज किया जावें ।

हमने साक्ष्य का विवेचन किया तो वादी ने अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये प्रदर्श–4 का अवलोकन करने से यह पाया गया कि आराजी खसरा नं. 893 रकबा 5 बीधा वाके ग्राम आलनपुर लाखनपुर का मूल खातेदार मेवा पुत्र गोविन्दा कोम रेगर हैं। उक्त जमाबंदी में नोट– नामान्तरकरण सं. 893 दिनांक 5.2.02 लगा हुआ हैं

उप जिला कलेक्टर
बौली जिला सवाई माधोपुर

जो मेवा पुत्र गोविन्दा की विरासत का हैं जिसमें मेवा की विरासत में नाथू पुत्र मेवा, कजोडी पुत्री मेवा मु. ग्यारसी बेवा मेवा के नाम स्वीकार होना पाया गया हैं । नाथू इस प्रकरण में वादी है। तथा कजोडी एवं ग्यारसी प्रतिवादी सं. 11,12 हैं । प्रदर्श–2 मिलान क्षैत्रफल से पाया गया कि खसरा नं. 893 मि. 5 बीधा का हाल खसरा नं. 1085 रकबा 1.26 हैक्टेयर कायम हुआ हैं, जो प्रदर्श–3 भूप्रबंध की जमाबंदी संवत 2066–85 खाता सं0246 के अनुसार उक्त खसरा नम्बर 1085 रकबा 1.26 हैक्टेयर की खातेदारी नाथू पुत्र मेवा , कजोडी पुत्री मेवा, एवं ग्यारसी बेवा मेवा के नाम दर्ज पायी गयी। इससे यह स्पष्ट होता हैं कि आराजी खसरा नं. 893 मि रकबा 5 बीधा जो वादी एवं प्रतिवादी सं. 11,12 के पिता/पति के नाम मेवा की विरासत से प्राप्त हुयी हैं उसके हाल खसरा नं. 1085 रकबा 1.26 हैक्टेयर कायम किये गये हैं तथा सेटिलमेंट खतोनी के आधार पर यह वादी एवं प्रतिवादी सं. 11,12 की खातेदारी की हैं । लेकिन तहसील की और से तैयार जमाबंदी प्रदर्श–1 में उक्त खसरा नम्बर 1085 रकबा 1.26 हैक्टेयर का प्रतिवादी सं. 1 ल. 9 के नाम इन्द्राज होने का क्या आधार पर है प्रतिवादीगण ने कोई ऐसा सबूत पेश नहीं किया केवल मात्र यह कहना कि हमारे पुर्वजो के कब्जे की हैं इस कारण सेटिलमेंट ने कब्जे के आधार पर हमारे नाम दर्ज की हैं पर्याप्त नहीं हैं। राजस्व प्रकरणो के निस्तारण में मौखिक साक्ष्य से अधिक प्रलेखीय साक्ष्य महत्व रखते हैं। दूसरी और प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य डी.ड.1 ने अपने बयान में यह स्पष्ट कहा कि हमारे बाबा के पास केवल 5 बीधा भूमि हीं थी। इसी के परिपेक्ष्य में वादी की और से प्रस्तुत प्रलेख प्रदर्श–5 में धन्ना पुत्र धासी कोम रेगर के खातेदारी में खसरा नं. 894 रकबा 5 बीधा भूमि खातेदारी में दर्ज थी। जो प्रदर्श–2 मिलान क्षैत्रफल के अनुसार हाल खसरा न. 1101 रकबा 1.27 हैक्टेयर बनाये गये एवं प्रदर्श–1 के अनुसार उक्त आराजी प्रतिवादी सं. 1 ल. 9 की खातेदारी में दर्ज हैं जो कि धन्ना के वारिसान हीं हैं। उक्त विवेचन अनुसार हम इस नतीजे पर पहूँचते हैं कि तहसील द्वारा संधारित जमाबंदी प्रदर्श–1 –, सेटिलमेंट द्वारा संधारित जमाबंदी प्रदर्श–3 के अनुसार नहीं हैं बल्कि लिपिकीय त्रुटिवश उक्त खसरा नंम्बर 1085 रकबा 1.26 सहवन से प्रतिवादी सं.1 ल. 9 की खातेदारी की अन्य आराजी के साथ अंकन हो गया । जिसे वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी हैं।

उक्तानुसार प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि प्रकरण में धोषणा की आवश्यकता नहीं हैं केवल इन्द्राज दुरूस्ती के हीं अनुतोष की आवश्यकता हैं। अतः ग्राम लाखनपुर की आराजी खसरा नं. 1985 रकबा 1.26 हैक्टेयर का सेटिलमेंट की जमाबंदी प्रदर्श–3 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 11, 12 के नाम दर्ज किया जावें तथा प्रतिवादी सं. 1 ल. 9 के नाम खाते से हजफ किया जावे । अतः उक्त विवेचना के अध्ययधीन तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में विनिश्चित की जाती हैं।

तनकी सं. 2:– इस तनकी को सिध्द करने का भार वादी पर है चूँकि विस्तृत में तनकी सं. 1 में विवेचित किया जा चुका हैं । दोहराव से बचने के लिए उक्त विवेचना के अध्ययधीन हम इस निष्कर्ष पर पहूँचते हैं कि उक्त आराजी खसरा नं. 1985 रकबा 1.26 हैक्टेयर वादी एवं प्रतिवादी सं. 11 व 12 की खातेदारी की हैं ऐसी स्थिति में उनको काश्त कर अपने परिवार के पालन पोषण का अधिकार भी प्राप्त हैं। इसे अवरोध पैदा न करने के लिए अप्रार्थी सं. 1 ल. .9 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना विधिसंगत हीं हैं। इस प्रकार उक्त तनकी वादी के पक्ष में विनिश्चित की जाती हैं।

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

तनकी सं. 3 :- उक्त तनकी को सिध्द करने का भार प्रतिवादीगण पर है प्रतिवादी सं. 1 ल. 9 की ओर से कोई प्रलेखीय दस्तावेजात पेश नहीं किया जिससे यह सिध्द हो सके कि आराजीयात मुतनाजा प्रतिवादीगण के पूर्वजो की कब्जे काश्त की है तथा इसी आधार पर उन्हे खातेदारी प्राप्त हुयी है। राजस्व भूमि के संबंध मे केवल मौखिक कथन का कोई औचित्य नहीं है जब तक की उसका समर्थन प्रलेखीय दस्तावेज से न हों। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी सं. 1 ल.9 के विरूध्द विनिश्चित की जाती है।

अनुतोष :-

चूंकि तनकी सं. 1 व 2 वादी के पक्ष मे एवं तनकी संख्या 3 प्रतिवादी सं. 1 ल. 9 के विरूध्द विनिश्चित की गयी है। अतः हमारे विनम्र अभिमत मे वादी का दावा डिकी किया जाना विधिसंगत हैं।

आदेश

उक्त विवेचना के परिपेक्ष्य मे वादी का दावा प्रतिवादी सं. 1 ल. 9 के विरूध्द स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिकी किया जाता हैं।

1. ग्राम लाखनपुर की आराजी खसरा नं. 1085 रकबा 1.26 हैक्टेयर को वादी एवं प्रतिवादी सं. 11 व 12 के नाम मुताबिक प्रदर्श–3 सेटिलमेंट की खतोनी खाता सं. 246 संवत 2066 से 2085 दर्ज कर राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त किया जावें एवं प्रतिवादी सं. 1 ल. 9 की खातेदारी से उक्त आराजी ख.नं. 985 1085 रकबा 1.26 हैक्टैयर इजाफ की जावें। प्रतिवादी सं. 1 ल. 9 की खातेदारी में अन्य आराजी ख.नं. 1101 रकबा 1.27 हैक्टेयर यथावत खातेदारी में दर्ज रहेगी। तदनुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल कर दुरूस्त किया जावें ।
2. प्रतिवादी सं. 1 ल. 9 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता हैं कि वह वादी की खातेदारी की उक्त आराजी खसरा नं. 1085 रकबा 1.26 हैक्टेयर के कब्जे काश्त में माने मजाहमत व मदाखलत न खुद करें ना अन्य से करावें।
3. खर्चा मुकदमा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें।

तद अनुसार डिकी जारी हों।

(बद्री नारायण मीना)
उपजिला कलेक्टर
बौंली जिला स.मा.

आदेश आज दिनांक 5.8.22 को निवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं उच्चारित किया गया।

उपजिला कलेक्टर
बौंली जिला स.मा.